



अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
ATAL BIHARI VAJPAYEE VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)
www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक / 1568/ परीक्षा—गोपनीय / 2020

बिलासपुर दिनांक 18/9/2020

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त संबद्ध महाविद्यालय
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय: सत्र 2019–20 की परीक्षाओं हेतु निर्देश।

—00—

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर की वार्षिक परीक्षा 2019–20 की शेष परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका वितरण एवं इनके संग्रहण के संबंध में दिशा—निर्देश जारी किये गये थे। आयुक्त उक्त शिक्षा संचालनालय रायपुर के पत्र क्रमांक 204 दिनांक 17.09.2020 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019–20 की वार्षिक परीक्षाओं एवं अंकसूची के संबंध में पुनः मार्ग दर्शन जारी किया गया है। वर्तमान में अपनाई जा रही है प्रक्रिया में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर शासना के निर्देशों का कुछ महाविद्यालयों द्वारा पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा है। अतः ऐसी स्थिति में संक्रमण से बचाव के निर्देशों का पालन अनिवार्य है। इस प्रतिप्रेक्ष्य में उक्त प्रक्रिया में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है:—

01. उत्तर पुस्तिकाओं का आनलाईन वितरण:—

- उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ को महाविद्यालय द्वारा कॉपी नंबर के स्थान पर कॉलेज कोड अंकित करते हुए अपनी वेबसाईट पर अपलोड करेंगे, परीक्षार्थी इसी उत्तर पुस्तिका को डाउनलोड करेंगे।
- महाविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड उत्तर पुस्तिका को महाविद्यालय द्वारा परीक्षार्थियों के ई-मेल/व्हाट्सअप पर भी प्रेषित किया जायेगा।
- परीक्षार्थियों द्वारा महाविद्यालय द्वारा प्रेषित उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ के साथ ए-4 साईज के पेपर को संलग्न करते हुए अपने प्रश्नों के उत्तर के हिसाब से उत्तर पुस्तिका का निर्माण करेंगे (जिसमें 32 पृष्ठ से अधिक न हों)
- परीक्षार्थी किसी भी दशा में महाविद्यालय से उत्तर पुस्तिका प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

02. उत्तर पुस्तिकाओं का संग्रहण:—

- ❖ परीक्षार्थी अपनी कक्षा की सम्पूर्ण प्रश्न पत्रों की परीक्षा की समाप्ति के पश्चात् पांच दिवस के अंदर समस्त उत्तर पुस्तिकाओं को लिफाफे में रखकर डॉक के माध्यम से महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे। एवं इसकी पावती अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

क्रमांक:.....

03. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन:-

- महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा समस्त संग्रहित लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन महाविद्यालय के संबंधित विषय के पात्र शिक्षकों से कराया जाये। महाविद्यालय में संबंधित विषय के शिक्षक न होने की स्थिति में निकटतम् महाविद्यालय/जिले के अग्रणी महाविद्यालय के सहयोग से मूल्यांकन करायें।
- इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार पारिश्रमिक देय होगा।
- मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के अंको के पर्ण/प्रतिपर्ण की प्रविष्टी विश्वविद्यालय के आनलाईन पोर्टल <http://exam.bucgexam.in> पर की जायेगी। जैसा कि प्रायोगिक/आंतरिक अंको के प्रेषण के समय किया जाता है।

04. सामान्य निर्देश—

- आनलाईन परीक्षा हेतु समस्त महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है, जिससे छात्रों को महाविद्यालय से आनलाईन प्रश्न पत्र लेने तथा डॉक से उत्तर पुस्तिका जमा करने में सुविधा हो।
- महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष होंगे तथा केन्द्राध्यक्षों के लिए परीक्षा के सुचारू संचालन एवं मूल्यांकन हेतु निम्नांकित निर्देश हैं—

स.क्र	परीक्षा केन्द्र के अधिकारी एवं कर्मचारी	छात्र संख्या		
		1000 तक	2000 तक	2000 से अधिक
1	सहायक केन्द्राध्यक्ष	01	02	03
2	तृतीय श्रेणी कर्मचारी (उत्तर पुस्तिका संग्रहण हेतु)	01	02	03
3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	01	02	03

वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष हेतु 300 रु. प्रतिदिन, सहायक केन्द्राध्यक्ष हेतु 150 रु. प्रतिदिन तृतीय श्रेणी कर्मचारी हेतु 100 रु. प्रतिदिन तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु 60 रु. प्रतिदिन पारिश्रमिक देय होगा। किसी भी स्थिति में परीक्षा के संचालन हेतु घोषित समय—सारणी एवं मूल्यांकन के लिए 20 दिन से अधिक के पारिश्रमिक की पात्रता नहीं होगी। पाली केन्द्राध्यक्ष की भी पात्रता नहीं होगी।

- ❖ परीक्षा केन्द्रों हेतु केन्द्र अग्रिम, एवं मूल्यांकन हेतु अग्रिम राशि का भुगतान छात्र संख्या के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
- ❖ उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पश्चात् प्राप्तांक विश्वविद्यालय के वेब पोर्टल में महाविद्यालय द्वारा आनलाईन प्रविष्टी किया जायेगा। तथा पर्ण/प्रतिपर्ण की हार्डकापी जो प्राचार्य के हस्ताक्षर मयसील युक्त, महाविद्यालय में सीलबंद लिफाफे में रखा जायेगा जिसे आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय द्वारा समयानुसार संग्रहित किया जायेगा।

टीप: राज्य शासन द्वारा कोविड-19 हेतु जारी S.O.P. का पालन अनिवार्य रूप से करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य परिस्थिति अनुसार छात्र-छात्राओं की समस्या का निराकरण करने एवं निर्णय लेने के लिए अधिकृत किये जाते हैं।

आदेशानुसार
२१.९.२०२०

कुलसचिव

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय
बिलासपुर।

पृ. क्रमांक / 1569 / परीक्षा—गोपनीय / 2020

बिलासपुर दिनांक 18/9/2020

01. माननीय कुलपति महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
02. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, महादनी भवन नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. वित्ताधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
04. संपादक / संवाददाता, दैनिक समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की छात्रहित में इसे विज्ञप्ति के रूप में अपने समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
05. विश्वविद्यालय सूचना पटल / वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


परीक्षा नियंत्रक
